न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/101 **दायरा दिनांक : 04.07.2023**

उनवान

1. गोविन्द लाल आत्मज स्वर्गीय किशन गोपाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां पिन कोड नं. 325219
2. प्रभू लाल आत्मज स्वर्गीय किशन गोपाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां पिन कोड नं. 325219

.... अपीलांट

बनाम

1. श्याम बिहारी आत्मज स्वर्गीय हरिचरण जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां पिन कोड नं. 325219
2. महावीर आत्मज स्वर्गीय हरिचरण जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां पिन कोड नं. 325219
3. श्रीमती रामप्यारी बाई पुत्री स्वर्गीय हरिचरण जी, पत्नी श्री मोहन लाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां पिन कोड नं. 3252194
4. सुमित्रा बाई पुत्री स्वर्गीय हरिचरण जी पत्नी श्री मुरारी उर्फ रामभरोस जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम पनवाड, तहसील खानपुर, जिला झालावाड
5. केदार बाई पत्नी स्वर्गीय हरिचरण जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां पिन कोड नं. 3252194
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृजराज चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3 व 5 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 10.03.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 47/2018 निर्णय दिनांक 09.02.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण रेस्पोडेंटगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92 (ए), 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके ग्राम एवं माल मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 148 के खसरा नं. 335 रकबा 1.16 हेक्टर, खसरा नं. 341 रकबा 0.58 हेक्टर, खसरा नं. 347/2655 रकबा 0.56 हेक्टर, खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हेक्टर, खसरा नं. 354/2484 रकबा 1.96 हेक्टर, खसरा नं. 552/2654 रकबा 0.62 हेक्टर, खसरा नं. 819 रकबा 0.34 हेक्टर, खसरा नं. 820 रकबा 0.05 हेक्टर, खसरा नं. 821 रकबा 0.04 हेक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 6.93 हेक्टर आराजी अप्रार्थी कम 1 व 2 के दर्ज खाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2023 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी कम 1 व 2 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि हुक्म जैर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां की खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हेक्टर आराजी के संबंध में ताफैसला दावा वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 के पक्ष में प्रतिवादीगण अपीलांट्स के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है कि वह उपरोक्त कृषि आराजीयात को कही रहन, बेचान एवं हस्तान्तरंण नहीं करें और वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, जबरन कब्जा व खुर्द बुर्द नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि प्रतिवादीगण अपीलांट्स उपरोक्त भूमि के तरीका खातेदार टीनेन्ट एवं काबिज है। राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में भी प्रतिवादी अपीलांट्स उपरोक्त आराजीयात के खातेदार टीनेन्ट दर्ज है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलांट्स काबिज व्यक्ति के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है। प्रतिवादी अपीलांट्स उपरोक्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार टीनेन्ट काबिज है, काबिज व्यक्ति एवं खातेदार टीनेन्ट के विरूद्ध कानूनन अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इस आधार पर हुक्म जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं पूरणीय क्षति का बिन्दु उसके पक्ष में होना मानकर प्रतिवादी अपीलांट्स के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है। वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 का अपील विषयक आराजीयात पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है, हित निहित नहीं है तथा कब्जा नहीं है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट के पक्ष में प्रतिवादी अपीलांट्स के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाने में त्रुटि की है। वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा खातेदार टीनेन्ट एवं काबिज नहीं होने से पोषणीय नहीं था इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जारी करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जाकर हुक्म जैर अपील निरस्त फरमायी जावे। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.06.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया, एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां में कुल 3 किता की 4.22 हेक्टर आराजी स्थित है। वादग्रस्त आराजी के हम खातेदार है। हमने अधीनस्थ न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा का दावा किया था। सैटलमेंट का बंटवारा सही है। हम वादग्रस्त आराजी के खातेदार है, खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। हम खातेदारों की अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की एवं प्रतिवादी का स्वीकार किया, जो विधि विरूद्ध है। हमने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया जिसका रेस्पोडेंट ने कोई खण्डन नहीं किया है, धारा 5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में 2015 (1) आर.आर.टी. पेज 633, 2018 (1) आर.आर.टी. पेज 692 व 2020(1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 265 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दो प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पेश हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा दूसरा प्रार्थना पत्र खारिज किया। हरिचरण पुत्र अमरलाल ने वादग्रस्त आराजी क्रय की थी। जो नामान्तरकरण सं. 302 दिनांक 02.04.1971 को तस्दीक हुआ। खसरा नं. 1122 की जो भूमि है, दौराने सैटलमेंट अपीलांट का नाम दर्ज हो गया, इसे (गोविन्दलाल) को कोई अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है, अतः अपील खारिज की जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक दावा किया गया तथा दावे के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि ग्राम एवं माल मोठपुर, तहसील अटरू में खाता संख्या 148 के खसरा नं. 335 का रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा नं. 341 का रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा नं. 347/2655 का रकबा 0.56 हैक्टर, खसरा नं. 354 का रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नं. 354/2484 का रकबा 1.96 हैक्टर, खसरा नं. 552/2654 का रकबा 0.62 हैक्टर, खसरा नं. 819 का रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नं. 820 का रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नं. 821 का रकबा 0.04 हैक्टर कुल 9 किता का रकबा 6.93 हेक्टर आराजी वर्तमान में अप्रार्थी कम 1 व 2 के दर्ज खाता है। वर्णित आराजी में पुराना खसरा नं. 1122/1925 का रकबा 10 बीघा के नये खसरा नं. 354 का रकबा 1.62 हैक्टर वादीगण के पिता खातेदार हरिचरण पुत्र अमरलाल के दर्ज खाता स्थित था जिसको दौराने सेटलमेंट अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा नवीन खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हेक्टर बनाकर लापरवाही पूर्वक कार्य करते हुए अप्रार्थी कम 1 व 2 के खाते में शामिल कर दिया जिससे प्रार्थीगण को अपने अधिकारो से वंचित होना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ताफैसला वाद अप्रार्थी कम 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खाता संख्या 148 का कुल किता 9 रकबा 6.93 हैक्टर में से खसरा नं. 354 का रकबा 1.62 हैक्टर आराजी का कही रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करे तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सेटलमेंट के पूर्व आराजी खसरा नं. 108 रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 929 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 1088 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 1090 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 1091 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1092 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 1098 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 1153 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 1115 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 1329 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 1430 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा कुल 11 किता कुल रकबा 85 बीघा 14 बिस्वा माल मोठपुर तहसील अटरू में नाथूलाल, किशनगोपाल, हरिचरण पुत्र अमरलाल के संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त आराजियात में अप्रार्थी कम 1 व 2 का सयुंक्त रूप से 1/3 हिस्सा है लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में 28 बीघा 11 बिस्वा आराजी आई इसके अतिरिक्त अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता ने आराजी खसरा नं. 1122 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा माल मोठपुर को कय किया था, इस प्रकार अप्रार्थी कम 1 व 2 के पिता के हिस्से में कुल 28 बीघा 11 बिस्वा + 14 बीघा 15 बिस्वा कुल 43 बीघा 9 बिस्वा आराजियात आयी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कम 1 से संबंधित एक ही परिवार है। परिवार के पास पैतृक एवं क्रयशुदा आराजी कुल 132 बीघा आराजी थी जिसका प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता के हिस्से में आराजी खसरा नं. 335, 341, 347/2655, 354, 354/2884, 819, 820, 821 की आराजी आयी, जिस पर अप्रार्थी कम 1 व 2 काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण के पिता सेटलमेंट के समय हाल खसरा नं. 354 के बदले अन्य आराजियात प्राप्त कर चुके है। प्रार्थीगण का आराजी खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हैक्टर पर कब्जा काश्त न तो पहले था और ना ही वर्तमान में है, ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का वाद धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मेन्टनेबल नहीं है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 09.02.2023 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी कम 1 व 2 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया कि वह ग्राम मोठपुरा की आराजी खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हैक्टर को ताफैसला मूल वाद कही रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करे और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान उत्पन कर, जबरन कब्जा व खुर्द बुर्द नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न ग्राम मोठपुर की जमाबंदी संवत 2073–2076 ग्राम मोठपुर के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हेक्टर अप्रार्थीगण अपीलांट एवं शांतिबाई पुत्री किशनगोपाल के खाते दर्ज रिकार्ड है। ग्राम मोठपुर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग सन् 1989 से 2009 के अनुसार खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हेक्टर किशन गोपाल पुत्र अमरलाल, कौम धाकड के खाते दर्ज रिकार्ड है। ग्राम मोठपुर की जमाबंदी संवत 2036–2039 के अनुसार खसरा नं. 1122/1925 रकबा 10 बीघा हरिचरण पुत्र अमरलाल, कोम धाकड के खाते दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग सन् 1989 से 2009 ग्राम मोठपुर के अनुसार साबिक खसरा नं. 1122/1925 रकबा 10 बीघा के हाल खसरा नं. 354 रकबा 1.62 हेक्टर कायम हुए हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न ग्राम मोठपुर की नकल नामान्तरण पंजिका के अनुसार नामान्तरण सं. 302 दिनांक 02.04.1971 के अनुसार खातेदार डाली बेवा भंवरया द्वारा अपने खाते की ग्राम मोठपुर की आराजी कुल किता 4 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा में से खसरा नं. 1122 की 10 बीघा आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.05.1970 से हरिचरण पुत्र अमरलाल, जाति धाकड को बेचान करने के कारण नामान्तरण सं. 302 प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के पिता हरिचरण पुत्र अमरलाल, जाति धाकड के नाम तस्दीक किया गया। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में उपलब्ध नामान्तरण पंजिका के अनुसार नामान्तरण सं. 302, जमाबंदी संवत 2036–2039, मिलान क्षेत्रफल एवं जमाबंदी भू प्रबन्ध विभाग सन 1989 से 2009 ग्राम मोठपुर के अवलोकन अनुसार प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 354 की विवादित आराजी प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के पिता हरिचरण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी जिसे दौराने सैटलमेंट भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अप्रार्थीगण अपीलांट के पिता किशन गोपाल के खाते दर्ज किया गया, जो विधि विरूद्ध है क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग को सक्षम प्राधिकारी एवं न्यायालय के आदेश के बिना किसी खातेदार के खाते की आराजी को किसी अन्य व्यक्ति के खाते दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा ऐसा कोई विधिक दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी उनके खाते वैध रूप से दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत प्रतीत होने के कारण हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.02.2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/03/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा